इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024—कार्तिक 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ ए 3-11/2021/1/पांच (28) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-11-2021-1-पांच-(46) दिनांक 8 जुलाई 2021 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है :

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस की राशि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है, का अधित्यजन किया जाता है ।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस की राशि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के किसी मास के प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जब उक्त मास में स्रोत पर कटौती किए गए राज्य कर की कुल रकम शून्य है, का अधित्यजन किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. एफ ए 3—11—2021—1—पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—11—2017—1—पांच (28), दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 20th November 2024

No. F A 3-11/2021/1/V (28) : In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of this department's notification No. F A 3-11-2021-1-V (46) Date 08-07-2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees.

Provided further that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by the registered person, who fails to furnish the return in FORM GSTR-7 for a month by the due date, where the total amount of State tax deducted at source in the said month is nil, shall stand waived.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.